भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2673

उत्तर देने की तारीख : 16.03.2026

अल्पसंख्यक निधियों और छात्रवृत्तियों में भारी कमी

2673. श्रीमती राजाथी:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2026-27 के लिए कुल केंद्रीय बजट में मंत्रालय के हिस्से में 0.064 प्रतिशत की कमी करने के पीछे तर्कसंगत क्या कारण हैं, जबकि वर्ष 2025-26 में यह 0.066 प्रतिशत था;

(ख) अल्पसंख्यक उच्च शिक्षा छात्रवृत्तियों में 99 प्रतिशत की भारी कमी करने के क्या कारण हैं जो वर्ष 2025-26 में ₹7.34 करोड़ से घटकर वर्ष 2026-27 में मात्र ₹0.06 करोड़ रह गई है;

(ग) विगत तीन वित्तीय वर्षों (वर्ष 2024-25 से वर्ष 2026-27) के दौरान आवंटित, जारी और वास्तव में उपयोग की गई धनराशि का योजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लाभार्थियों का राज्य-वार और समुदाय-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क): वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट अनुमान 3350.00 करोड़ रुपए है और वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट अनुमान 3400.00 करोड़ रुपए है, वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2026-27 में मंत्रालय के बजट आवंटन में लगभग 1.5% की वृद्धि हुई है। आवंटित बजट का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय छह केंद्रीय रूप से अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों, अर्थात् बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख समुदायों के शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए निम्नलिखित तीन छात्रवृत्ति योजनाएं लागू करता है:

i) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना
ii) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना
iii) मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना

इन योजनाओं का उद्देश्य धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के गरीब और मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सकें। तथापि, इन छात्रवृत्ति योजनाओं को वर्ष 2021-22 के बाद लागू करने के लिए अनुमोदित नहीं किया गया है।

छात्रवृत्ति योजनाओं के अलावा, यह मंत्रालय अल्पसंख्यक छात्रों को स्नातकोत्तर, एम.फिल. और पीएचडी स्तर के स्वीकृत पाठ्यक्रमों के लिए विदेश में अध्ययन करने हेतु शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए 'पढ़ो परदेश' योजना लागू करता था। सरकार के विभिन्न अन्य हस्तक्षेपों के माध्यम से किफायती दरों पर शिक्षा ऋण उपलब्ध होने के कारण, वित्तीय वर्ष 2022-23 से इस योजना को बंद कर दिया गया है।

मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (MANF) योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को भारत में एम.फिल. और पीएचडी जैसी उच्च शिक्षा की डिग्री प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में अध्येतावृत्ति प्रदान करना था। अन्य मंत्रालयों की इसी तरह की योजनाओं के साथ स्पष्ट ओवरलैपिंग (दोहराव) के कारण इस योजना को वर्ष 2022-23 से बंद कर दिया गया है। तथापि, मौजूदा लाभार्थियों को अध्येतावृत्ति अभी भी जारी की जा रही है।

(ग): पिछले तीन वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2026-27 के दौरान बजट अनुमान (BE), संशोधित अनुमान (RE) और वास्तविक व्यय दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(घ): पिछले पांच वर्षों के दौरान मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के तहत लाभार्थियों का राज्य-वार और समुदाय-वार विवरण **अनुबंध II-III** में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

"अल्पसंख्यक निधियों और छात्रवृत्तियों में भारी कमी" विषय पर श्रीमती राजाथी द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 16.03.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2673 के उत्तर के भाग (ग) में संदर्भित अनुबंध

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	योजना	2024-25			2025-26			2026-27
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय (10.03.2026 तक)	बजट अनुमान
1	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्व में MSDP)	910.90	908.90	955.23	1913.97	1565.00	1133.81	2000.00
2	पीएम विकास	255.43	30.00	0.00	267.29	200.00	98.72	303.27
3	पीएम विकास प्रतिबद्ध देनदारियां	244.57	200.00	203.35	250.00	112.01	35.58	0.00
4	विकास योजनाओं का प्रचार सहित अनुसंधान/अध्ययन, प्रसार, निगरानी एवं मूल्यांकन	20.00	12.20	23.62	20.00	16.00	14.51	20.00
5	छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या में गिरावट को रोकने के लिए योजना (जियो पारसी)	6.00	5.53	5.04	6.00	4.87	4.38	6.00
6	एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु कार्य कर रहे राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (SCA) को अनुदान सहायता	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	5.00
7	कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना	10.00	3.06	1.56	10.00	12.00	10.62	30.00
8	शहरी वक्फ संपति विकास योजना (पहले GIA से वक्फ)	6.00	0.01	0.00	3.00	1.53	0.00	2.00
9	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना	10.00	3.50	2.36	10.00	1.00	0.00	10.00

10	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	326.16	90.00	1.55	195.70	0.06	0.00	198.00
11	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1145.38	343.91	5.31	413.99	0.06	0.00	581.00
12	मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति	33.80	19.41	3.51	7.34	0.06	0.00	0.06
13	अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए विदेश में अध्ययन करने हेतु शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी (पढ़ो परदेश)	15.30	15.30	0.00	8.16	0.01	0.00	6.50
14	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	45.08	45.08	25.00	42.84	53.84	50.27	36.14
15	मदरसों और अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक योजना*	2.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
16	भारतीय महावाणिज्य दूतावास, जेद्दा	90.00	124.64	107.47	138.00	126.91	111.38	132.30
17	हज सचिवालय	5.00	4.82	4.56	5.00	5.35	4.89	5.00
18	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	14.00	14.00	11.77	14.89	12.50	9.75	15.50
19	भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी	3.00	2.00	1.61	3.00	2.15	1.81	2.08
20	सचिवालय	35.62	43.81	42.07	37.81	44.10	39.61	47.15
	कुल	**3183.24**	**1868.18**	**1396.01**	**3350.00**	**2160.45**	**1518.33**	**3400.00**

* योजना बंद कर दी गई है।

अनुबंध-II

"अल्पसंख्यक निधियों और छात्रवृत्तियों में भारी कमी" विषय पर श्रीमती राजाथी द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 16.03.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2673 के उत्तर के भाग (घ) में संदर्भित अनुबंध

आकलन वर्ष 2021-22 के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना में समुदाय-वार, राज्य-वार आंकड़े							
राज्य	मुस्लिम	ईसाई	सिख	पारसी	जैन	बौद्ध	कुल
अंडमान एवं निकोबार	85	207	4	0	0	0	296
आंध्र प्रदेश	14663	516	7	4	25	2	15217
असम	46587	2390	47	6	52	29	49111
बिहार	19604	23	17	0	4	6	19654
चंडीगढ़	76	1	40	0	0	0	117
छत्तीसगढ़	1916	289	249	0	195	96	2745
दिल्ली	2563	30	261	0	65	4	2923
गोवा	94	365	0	0	0	0	459
गुजरात	20859	516	43	6	2096	10	23530
हरियाणा	5407	14	2292	0	111	7	7831
हिमाचल प्रदेश	413	7	183	0	3	31	637
जम्मू एवं कश्मीर	46818	43	720	4	6	10	47601
झारखंड	5223	256	15	0	5	0	5499
कर्नाटक	62106	8058	85	17	3132	521	73919
केरल	42254	32050	4	3	21	3	74335
लद्दाख	321	1	0	0	0	585	907
मध्य प्रदेश	19593	332	548	4	3036	125	23638
महाराष्ट्र	35503	1041	227	5	3213	2170	42159
मणिपुर	1092	3521	2	2	0	15	4632
मेघालय	417	4883	7	4	0	7	5318
मिजोरम	8	1328	0	2	0	366	1704
नागालैंड	189	6211	1	3	6	15	6425
ओडिशा	3253	738	8	0	6	27	4032
पुदुचेरी	336	290	0	0	4	0	630

पंजाब	1820	1028	52334	51	161	67	55461
राजस्थान	24757	47	3028	1	2158	64	30055
सिक्किम	4	84	0	0	0	201	289
तमिलनाडु	24571	27490	15	20	331	5	52432
तेलंगाना	19078	1609	59	15	65	25	20851
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	76	0	0	0	3	0	79
त्रिपुरा	1525	159	2	0	0	81	1767
उत्तराखंड	4785	33	433	0	34	13	5298
उत्तर प्रदेश	133032	195	1238	9	499	356	135329
पश्चिम बंगाल	6084	382	9	2	7	76	6560
कुल	**545112**	**94137**	**61878**	**158**	**15238**	**4917**	**721440**

अनुबंध-III

"अल्पसंख्यक निधियों और छात्रवृत्तियों में भारी कमी" विषय पर श्रीमती राजाथी द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 16.03.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2673 के उत्तर के भाग (घ) में संदर्भित अनुबंध

आकलन वर्ष 2022-23# के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना में समुदाय-वार, राज्य-वार आंकड़े							
राज्य	मुस्लिम	ईसाई	सिख	पारसी	जैन	बौद्ध	कुल
अंडमान एवं निकोबार	16	28	0	0	0	0	44
आंध्र प्रदेश	3077	78	2	0	2	0	3159
असम	225	28	0	0	1	0	254
बिहार	1448	1	2	0	1	3	1455
चंडीगढ़	2	0	4	0	0	0	6
छत्तीसगढ	559	65	63	0	67	32	786
दिल्ली	326	0	40	0	6	0	372
गोवा	21	63	0	0	0	0	84
गुजरात	3840	80	9	0	424	0	4353
हरियाणा	904	1	274	0	27	0	1206
हिमाचल प्रदेश	105	0	49	0	1	2	157
जम्मू एवं कश्मीर	5597	6	114	1	2	2	5722
झारखंड	751	9	0	0	1	0	761
कर्नाटक	14354	2099	11	2	753	43	17262
केरल	9987	5791	0	2	7	0	15787
लद्दाख	31	0	0	0	0	32	63
मध्य प्रदेश	4150	77	129	0	881	18	5255
महाराष्ट्र	5622	142	49	0	906	418	7137
मणिपुर	277	422	0	0	0	2	701
मेघालय	52	556	3	0	0	3	614
मिजोरम	4	161	0	0	0	27	192
नागालैंड	51	1218	0	0	0	3	1272
ओडिशा	661	112	0	0	2	4	779
पुदुचेरी	64	51	0	0	0	0	115

पंजाब	255	108	7179	7	20	1	7570
राजस्थान	5865	9	769	0	595	18	7256
सिक्किम	0	16	0	0	0	19	35
तमिलनाडु	6631	7324	5	6	89	1	14056
तेलंगाना	1716	12	2	0	4	2	1736
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	12	0	0	0	0	0	12
त्रिपुरा	187	26	0	0	0	13	226
उत्तराखंड	683	2	40	0	3	1	729
उत्तर प्रदेश	24174	31	229	0	115	90	24639
पश्चिम बंगाल	773	33	2	0	0	4	812
कुल	**92420**	**18549**	**8975**	**18**	**3907**	**738**	**124607**

#2021-22 के बाद केवल प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए व्यय किया गया है।

******